Toppersnotes
Unleash the topper in you

भारत का संविधान

For All Law Exams

भाग - 2

भारत का संविधान - 2

SIERRA INNOVATIONS

विषय सूची

भारत का संविधान - 2

अनुच्छेद सं.	अनुच्छेद	पृष्ठ सं.
	भाग 5 **संघ** **अध्याय 1-कार्यपालिका**	
	राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति	
52	भारत का राष्ट्रपति	1
53	संघ की कार्यपालिका शक्ति	1
54	राष्ट्रपति का निर्वाचन	1
55	राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति	1
56	राष्ट्रपति की पदावधि	2
57	पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता	2
58	राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं	2
59	राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें	3
60	राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	3
61	राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया	4
62	राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि....	5
63	भारत का उपराष्ट्रपति	6
64	उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना	6
65	राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन	7
66	उपराष्ट्रपति का निर्वाचन	8
67	उपराष्ट्रपति की पदावधि	9
68	उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि	10
69	उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	11
70	अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन	11
71	राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय	12
72	क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघूकरण की राष्ट्रपति की शक्ति	13
73	संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार	16

	मंत्रि-परिषद्	
74	राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्	16
75	मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध	18
	भारत का महान्यायवादी	
76	भारत का महान्यायवादी	20
	सरकारी कार्य का संचालन	
77	भारत सरकार के कार्य का संचालन	20
78	राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य	20
	अध्याय 2-संसद् **साधारण**	
79	संसद् का गठन	21
80	राज्य सभा की संरचना	21
81	लोक सभा की संरचना.	22
82	प्रत्येक जनगणना के पश्चात् पुनःसमायोजन	23
83	संसद् के सदनों की अवधि	24
84	संसद् की सदस्यता के लिए अर्हता	24
85	संसद् के सत्र, सत्रावसान और विघटन	25
86	सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार	25
87	राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण	26
88	सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार	26
	संसद् के अधिकारी	
89	राज्य सभा का सभापति और उपसभापति	27
90	उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना	27
91	सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति	27
92	जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना	27
93	लोक सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	28
94	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना	28
95	अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति	29
96	जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना	29
97	सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते	30
98	संसद् का सचिवालय	30

	कार्य संचालन	
99	सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	31
100	सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति	31
	सदस्यों की निरर्हताएं	
101	स्थानों का रिक्त होना	32
102	सदस्यता के लिए निरहेताएं	33
103	सदस्यों की निरहाताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय	35
104	अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरहित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति	36
	संसद् और उसके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां	
105	संसद् के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि	36
106	सदस्यों के वेतन और भत्ते	38
	विधायी प्रक्रिया	
107	विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध	39
108	कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक	39
109	धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया	41
110	धन विधेयक की परिभाषा	42
111	विधेयकों पर अनुमति	45
	वितीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया	
112	वार्षिक वित्तीय विवरण	46
113	संसद् में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया	47
114	विनियोग विधेयक	49
115	अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान	50
116	लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान	51
117	वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध	53
	साधारणतया प्रक्रिया	
118	प्रक्रिया के नियम	54
119	संसद् में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन	55
120	संसद् में प्रयोग की जाने वाली भाषा	56
121	संसद् में चर्चा पर निर्बन्धन	57
122	न्यायालयों द्वारा संसद् की कार्यवाहियों की जांच क किया जाना	57
	अध्याय 3-राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां	
123	संसद् के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति	57

	अध्याय 4-संघ की न्यायपालिका	
124	उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन	61
124क	राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग	63
124ख	आयोग के कृत्य	63
124ग	विधि बनाने की संसद् की शक्ति	63
125	न्यायाधीशों के वेतन आदि	63
126	कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति	64
127	तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति	64
128	उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति	65
129	उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना	65
130	उच्चतम न्यायालय का स्थान	65
131	उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता	66
131क	केन्द्रीय विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के बारे में उच्चतम न्यायालय की अनन्य अधिकारिता - लोप किया गया ।]	66
132	कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता	67
133	उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता	67
134	दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता	68
134क	उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र	69
135	विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना	70
136	अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत	70
137	निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन	71
138	उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि	71
139	कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना	72
139क	कुछ मामलों का अंतरण	72
140	उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां	72
141	उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना	72
142	उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश	73
143	उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति	73
144	सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना	74
144क	विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध - लोप किया गया ।].	74
145	न्यायालय के नियम आदि	75
146	उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय	75
147	निर्वचन	76

	अध्याय 5-भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	
148	भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	76
149	नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां	77
150	संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्ररूप	77
151	संपरीक्षा प्रतिवेदन	78
	भाग 6 **राज्य**	
	अध्याय 1-साधारण	
152	परिभाषा	78
	अध्याय 2-कार्यपालिका	
	राज्यपाल	
153	राज्यों के राज्यपाल	78
154	राज्य की कार्यपालिका शक्ति	79
155	राज्यपाल की नियुक्ति	79
156	राज्यपाल की पदावधि	79
157	राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं	79
158	राज्यपाल के पद के लिए शर्तें	80
159	राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	80
160	कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन	80
161	क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघूकरण की राज्यपाल की शक्ति	80
162	राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार	81
	मंत्रि-परिषद्	
163	राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्	81
164	मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध	81
	राज्य का महाधिवक्ता	
165	राज्य का महाधिवक्ता	83
	सरकारी कार्य का संचालन	
166	राज्य की सरकार के कार्य का संचालन	84
167	राज्यपाल को जानकारी देने, आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य	85
	अध्याय 3-राज्य का विधान-मंडल	
	साधारण	
168	राज्यों के विधान-मंडलों का गठन	87
169	राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन	87
170	विधान सभाओं की संरचना	88
171	विधान परिषदों की संरचना	89
172	राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि	91

173	राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता	92
174	राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन	92
175	सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार	92
176	राज्यपाल का विशेष अभिभाषण	93
177	सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार	94
	राज्य के विधान-मंडल के अधिकारी	
178-186	विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष	94
	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना	
	अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति	
	जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना	
	विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति	
	सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना.	
	सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति	
	जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना	
	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते	
187	राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय	95
	कार्य संचालन	
188-189	सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	95
	सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति	
	सदस्यों की निरर्हताएं	
190-193	स्थानों का रिक्त होना	95
	सदस्यता के लिए निरर्हताएं	
	सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय	
	अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति	
	राज्यों के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां	
194	विधान-मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि	97
195	सदस्यों के वेतन और भत्ते	97
	विधायी प्रक्रिया	
196	विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध	97
197	धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद् की शक्तियों पर निर्बंधन	97
198	धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया	98

199	धन विधेयक की परिभाषा	98
200	विधेयकों पर अनुमति	99
201	विचार के लिए आरक्षित विधेयक	99
	वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया	
202	वार्षिक वित्तीय विवरण	99
203	विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया	100
204	विनियोग विधेयक	100
205	अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान	100
206	लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान	100
207	वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध	100
	साधारणतया प्रक्रिया	
208	प्रक्रिया के नियम	101
209	राज्य के विधान-मंडल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन	101
210	विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा	101
211	विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बंधन	101
212	न्यायालयों द्वारा विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जांच क किया जाना	101
	अध्याय 4-राज्यपाल की विधायी शक्ति	
213	विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति	102
	अध्याय 5-राज्यों के उच्च न्यायालय	
214	राज्यों के लिए उच्च न्यायालय	104
215	उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना	104
216	उच्च न्यायालयों का गठन	104
217	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें	104
218	उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना	105
219	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान	105
220	स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि-व्यवसाय पर निर्बंधन	105
221	न्यायाधीशों के वेतन आदि	105
222	किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण	105
223	कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति	105
224	अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति	106
224क	उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति	106
225	विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता	106
226	कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति	106
226क	अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों में केन्द्रीय विधियों की सांविधानिक वैधता पर विचार न किया जाना - लोप किया गया ।]	***
227	सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति	106
228	कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण	106

228क	राज्य विधियों की सांविधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध - लोप किया गया ।]	107
229	उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय	107
230	उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार	107
231	दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना	107
[231	अनुच्छेद 230, अनुच्छेद 231 और अनुच्छेद 232 के स्थान पर अनुच्छेद 230 और अनुच्छेद 231 प्रतिस्थापित ।].	***
	अध्याय 6-अधीनस्थ न्यायालय	
233	जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति	108
233क	कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण	108
234	न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती	109
235	अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण	109
236	निर्वचन	110
237	कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना	110
	भाग 7 **पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य**	
238	लोप किया गया ।]	***
	भाग 8 **संघ राज्यक्षेत्र**	
239	संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन	111
239क	कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान-मंडलों या मंत्रि-परिषदों का या दोनों का सृजन	111
239कक	दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध	111
239कख	सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध	112
239ख	विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति	113
240	कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति	113
241	संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय	113
242	कोड़गू - लोप किया गया ।]	114
	भाग 9 **पंचायत**	
243	परिभाषाएं	114
243क.	ग्राम सभा	114
243ख.	पंचायतों का गठन	115
243ग.	पंचायतों की संरचना	115
243घ.	स्थानों का आरक्षण	115
243ङ.	पंचायतों की अवधि, आदि	115
243च.	सदस्यता के लिए निरहताएं	116

243छ.	पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व	116
243ज.	पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां	116
243झ.	वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन	116
243ञ.	पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा	116
243ट.	पंचायतों के लिए निर्वाचन	117
243ठ.	संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना	117
243ड.	इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना	117
243ढ.	विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना	118
243ण.	निर्वाचन संबंधी मामलों कें न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन	118
	भाग 9क **नगरपालिकाएं**	
243त.	परिभाषाएं	119
243थ.	नगरपालिकाओं का गठन	119
243द.	नगरपालिकाओं की संरचना	120
243ध.	वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना	120
243न.	स्थानों का आरक्षण	120
243प.	नगरपालिकाओं की अवधि, आदि	121
243फ.	सदस्यता के लिए निरर्हताएं	121
243ब.	नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व	121
243भ.	नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां	121
243म.	वित्त आयोग	121
243य.	नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा	122
243यक.	नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन	122
243यख.	संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना	122
243यग.	इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना	122
243यघ.	जिला योजना के लिए समिति	122
243यङ.	महानगर योजना के लिए समिति	122
243यच.	विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना	123
243यछ.	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन	123
	भाग 9ख **सहकारी सोसाइटियां**	
243यज.	परिभाषाएं	123
243यझ.	सहकारी सोसाइटियों का निगमन	124
243यञ.	बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और पदावधि	124
243यट.	बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन	124
243यठ.	बोर्ड का अधिक्रमण और निलंबन तथा अन्तरिम प्रबंध	125
243यड.	सहकारी सोसाइटियों के लेखाओं की संपरीक्षा	125

243यढ.	साधारण निकाय की बैठक संयोजित करना	125
243यण.	सूचना प्राप्त करने का सदस्य का अधिकार	125
243यत.	विवरणियां	126
243यथ.	अपराध और शास्तियां	126
243यद.	बहुराज्य सहकारी सोसाइटियों को लागू होना	126
243यध.	संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होना	126
243यन.	विद्यमान विधियों का जारी रहना	126
	भाग 10 **अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र**	
244	अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन	126
244क.	असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रि-परिषद् का या दोनों का सृजन	128
	भाग 11 **संघ और राज्यों के बीच संबंध**	
	अध्याय 1-विधायी संबंध **विधायी शक्तियों का वितरण**	
245	संसद् द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार..	129
246	संसद् द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय-वस्तु	129
246क	माल और सेवा कर के संबंध में विशेष उपबंध	130
247	कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद् की शक्ति	131
248	अवशिष्ट विधायी शक्तियां	131
249	राज्य सूची में के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद् की शक्ति	131
250	यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची में के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद् की शक्ति	131
251	संसद् द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति	132
252	दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद् की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना.	132
253	अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान	132
254	संसद् द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति	133
255	सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना.	134
	अध्याय 2-प्रशासनिक संबंध **साधारण**	
256	राज्यों की और संघ की बाध्यता	134
257	कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण	134
257क.	संघ के सशस्त्र बलों या अन्य बलों के अभिनियोजन द्वारा राज्यों की सहायता - लोप किया गया ।]	135
258	कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति ।	135

258क.	संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति	135
259	पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के सशस्त्र बल - लोप किया गया।]	135
260	भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता	135
261	सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां	136
	जल संबंधी विवाद	
262	अंतरराज्यिक नदियों या नदी-दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन	136
	राज्यों के बीच समन्वय	
263	अंतर-राज्य परिषद् के संबंध में उपबंध.	137
	भाग 12 **वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद**	
	अध्याय 1-वित	
	साधारण	
264	निर्वचन	137
265	विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना	137
266	भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे	138
267	आकस्मिकता निधि	138
	संघ और राज्यों के बीच राजस्वों का वितरण	
268	संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क	139
268क.	संघ द्वारा उदगृहीत किए जाने वाला और संघ तथा राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किया जाने वाला सेवा-कर -- लोप किया गया]	139
269	संघ द्वारा उद्ग्हीत और संगृहीत किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर	139
269क	अन्तरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण	139
270	उद्गृहीत कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण	140
271	कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार	141
272	कर जो संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किए जाते हैं तथा जो संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जा सकेंगे - लोप किया गया ।]	141
273	जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान	141
274	ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा	141
275	कुछ राज्यों को संघ से अनुदान	142
276	वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर	142
277	व्यावृत्ति	143
278	कुछ वित्तीय विषयों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों से करार - लोप किया गया ।]	143

279	शुद्ध आगम आदि की गणना	143
279क.	माल और सेवा कर परिषद्	144
280	वित्त आयोग	145
281	वित्त आयोग की सिफारिशें	147
	प्रकीर्ण वित्तीय उपबंध	
282	संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय	147
283	संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि	147
284	लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा	148
285	संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट	148
286	माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन	148
287	विद्युत पर करों से छूट	148
288	जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट	149
289	राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट	149
290	कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन	149
290क.	कुछ देवस्वम् निधियों को वार्षिक संदाय	149
291	शासकों की निजी थैली की राशि - लोप किया गया ।]	150
	अध्याय 2-उधार लेना	
292	भारत सरकार द्वारा उधार लेना	150
293	राज्यों द्वारा उधार लेना	150
	अध्याय 3-संपति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद	
294	कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार	150
295	अन्य दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार	151
296	राजगामी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति	151
297	राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना...	151
298	व्यापार करने आदि की शक्ति	152
299	संविदाएं	152
300	वाद और कार्यवाहियां	153
	अध्याय 4-संपति का अधिकार	
300क.	विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना	153
	भाग 13 **भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम**	
301	व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता	153
302	व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद् की शक्ति	154
303	व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन	154

304	राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन	154
305	विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति	154
306	पहली अनुसूची के भाग ख के कुछ राज्यों की व्यापार और वाणिज्य पर निर्बंधनों के अधिरोपण की शक्ति - लोप किया गया ।]	154
307	अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति	155
	भाग 14 **संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं**	
	अध्याय 1-सेवाएं	
308	निर्वचन	155
309	संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें	155
310	संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि	155
311	संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना	156
312	अखिल भारतीय सेवाएं	157
312क.	कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहृत करने की संसद् की शक्ति	157
313	संक्रमणकालीन उपबंध	158
314	कुछ सेवाओं के विद्यमान अधिकारियों के संरक्षण के लिए उपबंध लोप किया गया ।]	158
	अध्याय 2-लोक सेवा आयोग	
315	संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग	158
316	सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि	158
317	लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना	159
318	आयोग के सदस्यों और कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति	159
319	आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने के संबंध में प्रतिषेध	160
320	लोक सेवा आयोगों के कृत्य	160
321	लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति	162
322	लोक सेवा आयोगों के व्यय	162
323	लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन	163
	भाग 14क **अधिकरण**	
323क.	प्रशासनिक अधिकरण	163
323ख.	अन्य विषयों के लिए अधिकरण	164

	भाग 15 **निर्वाचन**	
324	निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना	165
325	धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचकनामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक-नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा न किया जाना	166
326	लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना	166
327	विधान-मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद् की शक्ति	167
328	किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान-मंडल की शक्ति	167
329	निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन	167
329क.	प्रधान मंत्री और अध्यक्ष के मामले में संसद् के लिए निर्वाचनों के बारे में विशेष उपबंध --लोप किया गया ।]	167
	भाग 16 **कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध**	
330	लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण	167
331	लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व	168
332	राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण	169
333	राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व	169
334	स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का सत्तर वर्ष के पश्चात् क रहना..	169
335	सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे	170
336	कुछ सेवाओं में आंग्ल-भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध	170
337	आंग्ल-भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध	171
338	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	171
338क.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	171
338ख.	पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग	172
339	अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण	172
340	पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति	173
341	अनुसूचित जातियां	173
342	अनुसूचित जनजातियां	174
342क.	सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग	174
	भाग 17 **राजभाषा**	
	अध्याय 1-संघ की भाषा	
343	संघ की राजभाषा	175
344	राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद् की समिति	175

	अध्याय 2-प्रादेशिक भाषाएं	
345	राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं.	176
346	एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा	176
347	किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध.	177
	अध्याय 3-उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा	
348	उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा	177
349	भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया	178
	अध्याय 4-विशेष निदेश	
350	व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा	178
350क.	प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं	178
350ख.	भाषाई अल्पसंख्यक-वर्गों के लिए विशेष अधिकार	179
351	हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश	179
	भाग 18 **आपात उपबंध**	
352	आपात की उद्घोषणा	180
353	आपात की उद्घोषणा का प्रभाव	182
354	जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना	182
355	बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य	183
356	राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध	183
357	अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग	184
358	आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन	185
359	आपात के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलबंन..	185
359क.	इस भाग का पंजाब राज्य को लागू होना - लोप किया गया ।]	***
360	वित्तीय आपात के बारे में उपबंध	185
	भाग 19 **प्रकीर्ण**	
361	राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण	186
361क.	संसद् और राज्यों के विधान-मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण	187
361ख.	लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरह्हता	187
362	देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार - लोप किया गया ।]	188
363	कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन	188
363क.	देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत	188

364	महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध	188
365	संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव	189
366	परिभाषाएं	189
367	निर्वचन	189
	भाग 20 **संविधान का संशोधन**	
368	संविधान का संशोधन करने की संसद् की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया	191
	भाग 21 **अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध**	
369	राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद् की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय हों	197
370	जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध	197
371	महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध	198
371क.	नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	198
371ख.	असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	198
371ग.	मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	198
371घ.	आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	198
371ङ.	आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना	198
371च.	सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	199
371छ.	मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	199
371ज.	अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	199
371झ.	गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	199
371ञ.	कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध	199
372	विद्यमान विधियों का प्रवृत्त बने रहना और उनका अनुकूलन	199
372क.	विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति	199
373	निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति	200
374	फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या सपरिषद् हिज मजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध	200
375	संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना	
376	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध	
377	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध	
378	लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध	200
378क.	आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध	201
379	अन्तर्कालीन संसद् तथा उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध - लोप किया गया ।]	***

380	राष्ट्रपति के बारे में उपबंध -- लोप किया गया ।]	***
381	राष्ट्रपति की मंत्रि-परिषद् -- लोप किया गया ।]	***
382	पहली अनुसूची के भाग क में के राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों के बारे में उपबंध -- लोप किया गया ।]	***
383	प्रान्तों के राज्यपालों के बारे में उपबंध -- लोप किया गया ।]	***
384	राज्यपालों की मंत्रि-परिषद् -- लोप किया गया ।]	***
385	पहली अनुसूची के भाग ख में के राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों के बारे में उपबंध -- लोप किया गया ।].	***
386	पहली अनुसूची के भाग ख में के राज्यों की मंत्रि-परिषद् -- लोप किया गया ।]	***
387	कुछ निर्वाचनों के परियोजनों के लिए जनसंख्या के निर्धारण के बारे में विशेष उपबंध -- लोप किया गया ।]	***
388	अन्तर्कालीन संसद् तथा राज्यों के अन्तर्कालीन विधान-मंडलों में आकस्मिक रिक्तियों के बारे में उपबंध -- लोप किया गया ।]	***
389	डोमीनियन विधान-मंडल तथा प्रान्तों और देशी राज्यों के विधान-मंडलों में लंबित विधेयकों के बारे में उपबंध -- लोप किया गया ।]	***
390	इस संविधान के प्रारंभ और 1950 के 31 मार्च के बीच प्राप्त या उत्थापत या व्यय किया हुआ धन -- लोप किया गया ।]	***
391	कुछ आकस्मिकताओं में पहली और चौथी अनुसूची का संशोधन करने की राष्ट्रपति की शक्ति -- लोप किया गया ।]	***
392	कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति	202
	भाग 22 **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन**	
393	संक्षिप्त नाम	202
394	प्रारंभ	202
394क.	हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ	203
395	निरसन	203
	अनुसूचियां	
	पहली अनुसूची 1. राज्य 2. संघ राज्यक्षेत्र	240
	दूसरी अनुसूची भाग क -- राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों के बारे में उपबंध भाग ख -- [लोप किया गया ।] भाग ग -- लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्य सभा के सभापति और उपसभापति के तथा राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध भाग घ -- उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध भाग ङ -- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध	240
	तीसरी अनुसूची--शपथ या प्रतिज्ञान के प्ररूप	241

	चौथी अनुसूची--राज्य सभा में स्थानों का आबंटन	241
	पांचवीं अनुसूची--अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध भाग क -- साधारण भाग ख -- अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण भाग ग -- अनुसूचित क्षेत्र भाग घ -- अनुसूची का संशोधन	241
	छठी अनुसूची-- असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध	242
	सातवीं अनुसूची सूची 1 -- संघ सूची सूची 2 -- राज्य सूची सूची 3 -- समवर्ती सूची	242
	आठवीं अनुसूची -- भाषाएं	243
	नवीं अनुसूची--कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण	243
	दसवीं अनुसूची--दल परिवर्तन के आधार पर निरहृतता के बारे में उपबंध	244
	ग्यारहवीं अनुसूची--पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व	247
	बारहवीं अनुसूची--नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व	247

भारत का संविधान

भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति

अनुच्छेद 52: भारत के राष्ट्रपति

भारत में एक राष्ट्रपति होगा।

अनुच्छेद 53: संघ की कार्यपालिका शक्ति

(1) संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार सीधे या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है।

(2) रक्षा बलों का सर्वोच्च कमान राष्ट्रपति के पास होता है; इसके प्रयोग को कानून द्वारा विनियमित किया जाता है।

(3) यह स्पष्ट करता है कि:

(a) राज्य सरकारों के कार्य राष्ट्रपति को हस्तांतरित नहीं किए जाते।

(b) संसद अन्य प्राधिकरणों को कार्य सौंप सकती है।

अनुच्छेद 54: राष्ट्रपति का निर्वाचन

- राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचकगण के सदस्य द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं:

  (a) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य।

  (b) राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, जिसमें दिल्ली और पुडुचेरी शामिल हैं।

  नोट: केवल निर्वाचित सदस्य, नामित सदस्य नहीं।

अनुच्छेद 55: राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि

- राज्यों के बीच तथा संघ और राज्यों के बीच समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है।
- **Voting formula:**

  (a) MLA के मत = राज्य की जनसंख्या ÷ निर्वाचित MLAs × 1,000

  (b) यदि शेष ≥ 500 हो, तो 1 मत जोड़ा जाता है।

  (c) MP का मत = सभी MLAs के कुल मत ÷ कुल निर्वाचित MPs।
- निर्वाचन पद्धति: एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व; गुप्त मतदान।
- जनसंख्या संदर्भ: 1971 Census (जब तक नई जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं होते)।

अनुच्छेद 56: राष्ट्रपति का पदावधि

- कार्यकाल: पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष।
- उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे सकता है।
- अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग किया जा सकता है।
- उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहता है।

अनुच्छेद 57: पुनर्निर्वाचन की पात्रता

- वर्तमान या पूर्व राष्ट्रपति पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है।

अनुच्छेद 58: राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएँ

(1) मूल योग्यताएँ

a) भारत का नागरिक होना चाहिए।

b) आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए।

c) लोक सभा का सदस्य बनने के लिए पात्र होना चाहिए।

(2) अयोग्यता

कोई व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता यदि वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत हो:

- ✓ केंद्र सरकार के अधीन
- ✓ किसी राज्य सरकार के अधीन
- ✓ किसी स्थानीय प्राधिकारी (जैसे नगर निगम) के अधीन
- ✓ सरकार द्वारा नियंत्रित किसी प्राधिकरण के अधीन

लाभ का पद = ऐसा पद जहाँ सरकार से वेतन या आर्थिक लाभ प्राप्त होता हो।

अपवाद

निम्न पद लाभ के पद नहीं माने जाएंगे:

- भारत के राष्ट्रपति
- भारत के उपराष्ट्रपति
- किसी राज्य के राज्यपाल
- केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री

अर्थात यदि कोई व्यक्ति पहले से उपराष्ट्रपति या राज्यपाल है, तो वह बिना इस्तीफा दिए राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है।

अनुच्छेद 59: राष्ट्रपति के पद की शर्तें

(1) राष्ट्रपति MP या MLA नहीं हो सकता है।

- ✓ राष्ट्रपति नहीं हो सकता:
  - संसद का सदस्य (लोक सभा या राज्य सभा), या
  - किसी राज्य विधान सभा या विधान परिषद का सदस्य (MLA/MLC)।

यदि कोई MP या MLA राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, तो पद ग्रहण करते ही उसकी सीट स्वतः रिक्त हो जाती है।

(2) राष्ट्रपति कोई अन्य नौकरी नहीं कर सकता है।

- ✓ राष्ट्रपति किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रह सकता।

(3) राष्ट्रपति को आधिकारिक निवास + वेतन + सुविधाएं मिलती हैं

राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं:

- ✓ आधिकारिक निवास (Rashtrapati Bhavan) का निःशुल्क उपयोग
- ✓ वेतन, भत्ते, सुविधाएं और विशेषाधिकार, जो संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं
- ✓ जब तक संसद परिवर्तन न करे, लाभ द्वितीय अनुसूची के अनुसार होंगे।

(4) वेतन कम नहीं किया जा सकता

- ✓ राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों को कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता।
- ✓ यह राष्ट्रपति को वित्तीय दबाव से बचाता है।

अनुच्छेद 60: राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

राष्ट्रपति पद संभालने से पहले शपथ (या प्रतिज्ञान) लेना आवश्यक है।

शपथ कौन दिलाता है?

- ➢ भारत के मुख्य न्यायाधीश
- ➢ यदि CJI अनुपस्थित हों → सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम उपलब्ध न्यायाधीश

कौन शपथ लेता है?

- ➢ भारत के राष्ट्रपति
- ➢ कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो या राष्ट्रपति के कर्तव्य निभा रहा हो।

शपथ में क्या वचन दिया जाता है?

- मैं भारत के राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करूंगा/करूंगी।
- मैं संविधान और कानून की रक्षा, संरक्षण और पालन करूंगा/करूंगी।
- मैं भारत के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करूंगा/करूंगी।

अनुच्छेद 61: राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना की प्रक्रिया

महाभियोग का आधार

राष्ट्रपति को केवल "संविधान के उल्लंघन" के आधार पर हटाया जा सकता है।

"संविधान का उल्लंघन" का अर्थ:

संविधान, उसके प्रावधानों, कर्तव्यों, सीमाओं या भावना के विरुद्ध कोई कार्य करना।

इसमें शामिल हो सकते हैं:

- संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग
- संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध कार्य करना
- संवैधानिक कर्तव्यों की अवहेलना
- संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना
- कानूनी अधिकार के बिना कार्य करना
- जानबूझकर (मौलिक अधिकारों) का उल्लंघन
- संवैधानिक कार्यों से जुड़ा भ्रष्ट या अवैध आचरण

उदाहरण:

अनुच्छेद 72 के अंतर्गत क्षमा देने के बदले रिश्वत लेना।

महाभियोग की प्रक्रिया

Step 1: प्रक्रिया की शुरुआत

- आरोप लोक सभा या राज्य सभा में से किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है।

Step 2: विशेष सूचना आवश्यक है।

प्रस्ताव लाने से पहले:

- कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना देना आवश्यक है।
- सूचना पर उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।

पहला सदन प्रस्ताव पारित करेगा।

- प्रस्ताव को उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए।
- पारित होने पर आरोप औपचारिक रूप से तय हो जाता है।

Step 3: दूसरे सदन द्वारा जांच

- दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा या समिति गठित कर सकता है।
- राष्ट्रपति को अधिकार है:
  - ✓ उपस्थित होने का
  - ✓ अपना बचाव करने का
  - ✓ वकील द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का

Step 4: अंतिम निर्णय

- जांच के बाद दूसरा सदन भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा कि आरोप सिद्ध हो चुके हैं।
- यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति उसी तिथि से पद से हटा दिया जाता है।

अनुच्छेद 62: राष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने के लिए चुनाव का समय तथा आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का कार्यकाल

(1) जब राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने वाला हो

- यदि राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने वाला है:
  - ✓ नए राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले कर लिया जाना चाहिए।
  - ✓ इससे राष्ट्रपति के पद में कोई रिक्ति नहीं रहती।

(2) जब रिक्ति अचानक उत्पन्न हो (casual vacancy)

- यदि राष्ट्रपति का पद निम्न कारणों से रिक्त हो जाए:
  - ✓ मृत्यु
  - ✓ त्यागपत्र
  - ✓ पद से हटाया जाना (महाभियोग)
  - ✓ या किसी अन्य कारण से
- तो चुनाव यथाशीघ्र कराया जाना चाहिए, और रिक्ति होने की तिथि से 6 महीने से अधिक विलंब नहीं किया जा सकता।
- आकस्मिक रिक्ति में चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल यदि कोई व्यक्ति ऐसी रिक्ति को भरने के लिए चुना जाता है:
  - ✓ उसे पद ग्रहण करने की तिथि से पूर्ण 5 वर्ष का कार्यकाल मिलेगा (पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल के लिए नहीं)।

अनुच्छेद 63: भारत के उपराष्ट्रपति

- **संविधान केवल यह कहता है:**
  - ✓ भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा।
  - ✓ यह अनुच्छेद केवल भारत के उपराष्ट्रपति के पद की स्थापना करता है।

अनुच्छेद 64: उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे

1. **उपराष्ट्रपति = राज्य सभा के अध्यक्ष (पदेन)**
   - ✓ पदेन का अर्थ है: पद के कारण स्वतः प्राप्त पद
   - ✓ (मुख्य पद के कारण दूसरा पद स्वतः मिल जाता है)
   - ✓ इसके लिए अलग से चुनाव या नियुक्ति की आवश्यकता नहीं होती।
   - ✓ भारत के उपराष्ट्रपति स्वतः (Ex officio) राज्य सभा के अध्यक्ष होते हैं।
     - उन्हें अध्यक्ष के रूप में अलग से निर्वाचित नहीं किया जाता।
     - यह राष्ट्रपति के स्थानापन्न होने के अतिरिक्त उनका मुख्य संवैधानिक कार्य है।
2. **उपराष्ट्रपति कोई अन्य लाभ का पद नहीं रख सकता**
   - ✓ उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के अध्यक्ष रहते हुए:
     - वह कोई अन्य सरकारी वेतन वाला पद या लाभ का पद धारण नहीं कर सकता।
3. **जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है**
   - ✓ यदि उपराष्ट्रपति:
     - कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, या
     - अनुच्छेद 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है,

   तो:
   - ✓ वह राज्य सभा के अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा (अस्थायी रूप से)।
   - ✓ उसे राज्य सभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ते (अनुच्छेद 97) नहीं मिलेंगे।
   - ✓ इसके स्थान पर उसे राष्ट्रपति का वेतन और सुविधाएं प्राप्त होंगी।

अनुच्छेद 65: उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उनके कार्यों का निर्वहन करना

1. जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है (casual vacancy)

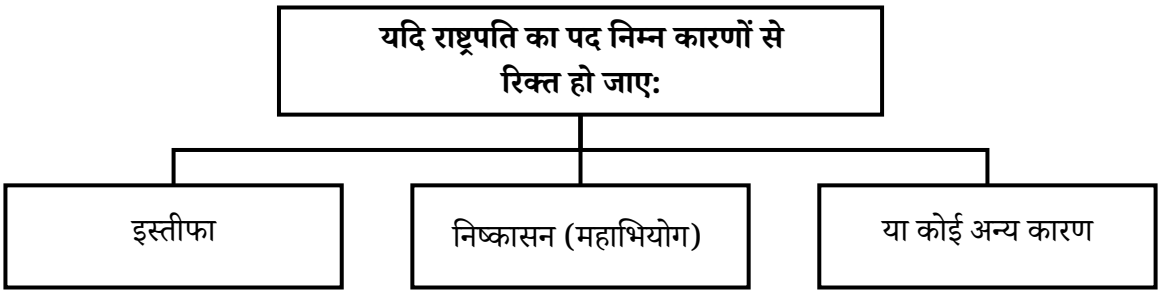

- ✓ उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा
- ✓ उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करेगा जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर पद ग्रहण नहीं कर लेता।

2. जब राष्ट्रपति अस्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थ हो

- ✓ यदि राष्ट्रपति निम्न कारणों से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाता:
  - बीमारी
  - भारत से अनुपस्थिति
  - या किसी अन्य कारण से
- ✓ तो उपराष्ट्रपति अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करेगा।
- ✓ (यह केवल तब तक होगा जब तक राष्ट्रपति वापस आकर अपने कर्तव्यों का पुनः पालन शुरू नहीं कर देता।)

3. इस अवधि के दौरान शक्तियाँ और वेतन

- ✓ जब उपराष्ट्रपति:
  - राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, या
  - राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहा हो,

तब:

- ✓ उसे राष्ट्रपति की सभी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं।
- ✓ उसे राष्ट्रपति की सभी उन्मुक्तिया प्राप्त होती हैं।
- ✓ उसे राष्ट्रपति का वेतन, भत्ते और सुविधाएं प्राप्त होती हैं (द्वितीय अनुसूची या कानून के अनुसार)।

अनुच्छेद 66: उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

1. उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है?

निर्वाचन मंडल (Electoral College) द्वारा होता है।

- ✓ उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है:
  - संसद के दोनों सदनों के सदस्य (लोकसभा + राज्यसभा)
  - निर्वाचित सदस्य
  - मनोनीत सदस्य
- ✓ दोनों मतदान कर सकते हैं।

  (यह राष्ट्रपति के चुनाव से भिन्न है, जहाँ केवल निर्वाचित सांसद और विधायक ही मतदान करते हैं।)
- ✓ **मतदान प्रणाली**
  - आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (Proportional Representation)
  - एकल संक्रयणीय मत प्रणाली (Single Transferable Vote – STV)
  - गुप्त मतदान (Secret Ballot)
- ✓ अर्थात् सांसद उम्मीदवारों को प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता आदि के क्रम में अंकित करते हैं।

2. उपराष्ट्रपति संसद सदस्य (MP) या राज्य विधानमंडल का सदस्य (MLA) नहीं हो सकता है।

- ✓ उपराष्ट्रपति निम्न में से नहीं होना चाहिए:
  - संसद का सदस्य
  - किसी भी राज्य विधानमंडल का सदस्य
- ✓ यदि कोई सांसद (MP) या विधायक (MLA) उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है,

  तो पद ग्रहण करने के दिन ही उनकी सीट स्वतः रिक्त हो जाती है।

3. उपराष्ट्रपति बनने की योग्यताएँ

- ✓ किसी व्यक्ति को:
  - भारत का नागरिक होना चाहिए।
  - कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए।
  - राज्यसभा (परिषद् राज्य) का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए।

4. अयोग्यता — लाभ का पद

✓ कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता यदि वह निम्न के अधीन लाभ का पद रखता हो

- केंद्र सरकार
- राज्य सरकार
- स्थानीय प्राधिकरण
- सरकार के नियंत्रण में कोई प्राधिकरण

अपवाद

✓ निम्न पद लाभ का पद नहीं माने जाएंगे:

1. भारत के राष्ट्रपति
2. भारत के उपराष्ट्रपति
3. किसी राज्य के राज्यपाल
4. केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री

अर्थात ये पद धारण करने वाले व्यक्ति बिना इस्तीफा दिए उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं।

अनुच्छेद 67: उपराष्ट्रपति का कार्यकाल

1. उपराष्ट्रपति का कार्यकाल

✓ उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है:

- उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहता है।

2. उपराष्ट्रपति पद पहले कैसे छोड़ सकता है?

(A) त्यागपत्र

✓ उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है:

- भारत के राष्ट्रपति को संबोधित लिखित पत्र देकर।
- पत्र देने के बाद वह पद छोड़ देता है।

(B) पद से हटाया जाना (महाभियोग-जैसी प्रक्रिया

✓ उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है:

- राज्य सभा में पारित प्रस्ताव द्वारा,
- जो उस समय के कुल सदस्यों के बहुमत से पारित हो (केवल उपस्थित सदस्यों से नहीं),
- और इस प्रस्ताव से लोक सभा सहमत हो।

- ✓ **महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधान:**
  - प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन का नोटिस आवश्यक है।
  - उपराष्ट्रपति को हटाना राष्ट्रपति की तुलना में सरल है (2/3 बहुमत आवश्यक नहीं)।

3. कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पद पर बने रहना

- ✓ 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी उपराष्ट्रपति तब तक पद पर बना रहता है जब तक नया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता।

  (इससे पद में अस्थायी रिक्ति नहीं होती।)

अनुच्छेद 68: उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने के लिए चुनाव का समय तथा आकस्मिक रिक्ति को भरने वाले व्यक्ति का पदावधि

1. जब उपराष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने वाला हो।

- ✓ यदि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला हो:
  - नए उपराष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही कर लिया जाना चाहिए।
  - इससे उपराष्ट्रपति के पद में कोई रिक्ति नहीं रहती।

2. जब पद अप्रत्याशित रूप से रिक्त हो जाता है (आकस्मिक रिक्ति)।

- ✓ यदि उपराष्ट्रपति का पद निम्न कारणों से रिक्त हो जाता है:
  - **मृत्यु**
  - **इस्तीफा**
  - **पद से हटाया जाना**
  - **या किसी अन्य कारण से**

चुनाव यथाशीघ्र कराया जाना चाहिए।

अधिकतम समय सीमा:

संविधान में राष्ट्रपति के समान (6 महीने जैसी) कोई निश्चित अधिकतम समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन चुनाव में अनावश्यक विलंब नहीं किया जाना चाहिए।

निर्वाचित व्यक्ति का कार्यकाल:

ऐसी रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति:

पद ग्रहण करने की तिथि से पूर्ण 5 वर्ष का कार्यकाल प्राप्त करता है,

जो अनुच्छेद 67 के अधीन होता है (जिसमें इस्तीफा, पद से हटाया जाना तथा पद पर बने रहने से संबंधित प्रावधान शामिल हैं)।

अनुच्छेद 69: उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

- कार्यभार संभालने से पहले उपराष्ट्रपति को शपथ (या प्रतिज्ञान) लेना आवश्यक होता है।
- शपथ कौन दिलाता है?
- शपथ भारत के राष्ट्रपति के समक्ष, या राष्ट्रपति द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष ली जाती है।
- शपथ में उपराष्ट्रपति क्या प्रतिज्ञा करते हैं?
- शपथ में उपराष्ट्रपति यह कहते हैं:
  1. मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा/रखूँगी।
  2. मैं संविधान के प्रति वफादार रहूँगा/रहूँगी।
  3. मैं अपने पद के कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करूँगा/करूँगी।
  4. मैं अपने कर्तव्यों का ईमानदारी और जिम्मेदारी से पालन करूँगा/करूँगी।

अनुच्छेद 70 : अन्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन

- **कभी-कभी ऐसी अप्रत्याशित परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जहाँ:**
  - ✓ जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हों,
  - ✓ और
  - ✓ संविधान (अनुच्छेद 52–69) में यह स्पष्ट न हो कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए।
- **ऐसी दुर्लभ या विशेष परिस्थितियों के लिए:**
  - ✓ ऐसी स्थिति में संसद को यह अधिकार होता है कि वह कानून बनाकर यह निर्धारित करे कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन कौन करेगा और उन्हें किस प्रकार निभाया जाएगा।
- **इसका अर्थ है:**
  - ✓ यदि राष्ट्रपति के पद से संबंधित किसी असामान्य स्थिति के लिए संविधान में स्पष्ट समाधान प्रदान नहीं किया गया हो:
    - संसद हस्तक्षेप कर सकती है।
    - संसद इस विषय में कानून बना सकती है।
    - वही कानून यह निर्धारित करेगा कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का पालन किस प्रकार किया जाएगा।

अनुच्छेद 71 : राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े विषय

1. चुनाव विवादों का निर्णय कौन करता है?

- ✓ यदि कोई हो:
  - संदेह,
  - विवाद,
  - शिकायत, या
  - चुनौती
- ✓ राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित मामले का निर्णय केवल निम्न द्वारा किया जाएगा:
- ✓ **भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा।**
  - सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है।
  - कोई भी हाई कोर्ट ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता।

2. यदि सर्वोच्च न्यायालय बाद में चुनाव को अमान्य घोषित कर दे

- ✓ मान लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय घोषित करता है:
  - "राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के रूप में Z का चुनाव शून्य (अमान्य) है।"
- ✓ फिर भी:
  - तब भी, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से पहले उसके द्वारा लिए गए सभी निर्णय, आदेश और कार्य वैध बने रहेंगे।
  - यह शासन की स्थिरता बनाए रखने के लिए किया जाता है।
  - अर्थात, चुनाव को अमान्य घोषित किए जाने से पहले किए गए कार्य वैध माने जाते हैं।
- ✓ **उदाहरण:**
  - यदि कोई राष्ट्रपति अपने चुनाव को अमान्य घोषित किए जाने से पहले किसी कानून पर हस्ताक्षर कर देता है, तो वह कानून वैध बना रहता है।

3. संसद चुनावों के संबंध में कानून बना सकती है।

- ✓ संसद के पास निम्नलिखित के लिए कानून बनाने की शक्ति है:
  - चुनाव प्रक्रिया
  - चुनाव विवाद
  - योग्यताएँ
  - अधिसूचना संबंधी नियम
  - राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अन्य कोई भी विषय
- ✓ यह कार्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952 के अंतर्गत किया जाता है।
- ✓ अर्थात, संसद चुनाव प्रक्रिया के संबंध में कानून बना सकती है।

4. रिक्तियों के कारण चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती।

- ✓ कोई व्यक्ति यह कहकर चुनाव को चुनौती नहीं दे सकता कि:
  - "निर्वाचक मंडल में रिक्तियाँ थीं (कुछ सांसद/विधायक अनुपस्थित थे)।"
  - "कुछ सीटें खाली थीं, इसलिए चुनाव अमान्य है।"
- ✓ रिक्तियाँ चुनाव की वैधता को प्रभावित नहीं करती हैं।
- ✓ अर्थात, निर्वाचक मंडल में खाली सीटों के आधार पर चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती।

अनुच्छेद 72 : राष्ट्रपति की क्षमादान आदि प्रदान करने तथा कुछ मामलों में दंड को स्थगित करने, कम करने या परिवर्तित करने की शक्ति।

राष्ट्रपति की क्षमादान देने तथा दंड में परिवर्तन करने की शक्ति।

भारत के राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, कम करने या बदलने का अधिकार होता है।.

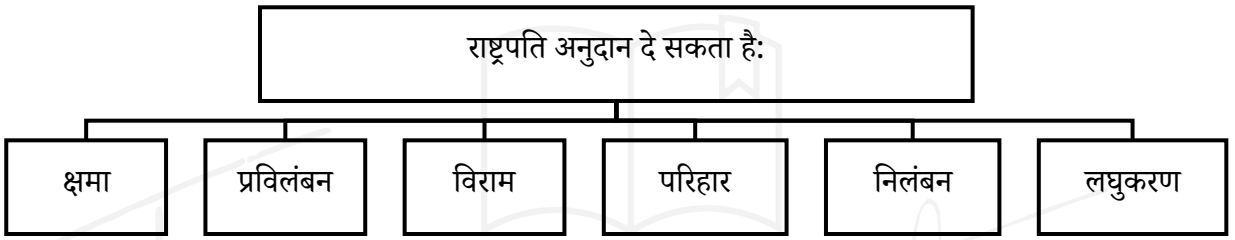

1. राष्ट्रपति के पास कौन-कौन सी शक्तियाँ होती हैं?

- ✓ राष्ट्रपति निम्नलिखित प्रदान कर सकते हैं:
  - **क्षमादान**
- ✓ पूर्ण क्षमादान — पूर्ण क्षमादान करने पर दंड समाप्त हो जाता है और दोषसिद्धि भी समाप्त हो जाती है।
  - **दंड-** प्रविलंबन
- ✓ दंड का अस्थायी स्थगन, विशेष रूप से मृत्यु-दंड के मामले में। इसका उद्देश्य दोषी व्यक्ति को राष्ट्रपति से क्षमादान या दंड परिवर्तन की मांग करने के लिए समय प्रदान करना होता है।
  - **दंड में विराम**
- ✓ विशेष कारणों (जैसे गर्भावस्था, दिव्यांगता आदि) के कारण कम दंड दिया जाना।
  - **दंड में परिहार**
- ✓ दंड के स्वरूप को बदले बिना उसकी अवधि कम करना (जैसे 10 वर्ष का कठोर कारावास → 5 वर्ष का कठोर कारावास)।
  - **दंड का लघुकरण**
- ✓ दंड को हल्के दंड में बदल देना (जैसे मृत्यु-दंड → आजीवन कारावास)।

राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं?

राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग तीन प्रकार के मामलों में कर सकते हैं:

a) सैन्य न्यायालय (कोर्ट मार्शल) द्वारा दिए गए दंड के मामलों में।

- सैन्य न्यायालय (थल सेना, नौसेना और वायु सेना के न्यायालय)।

b) संघीय कानूनों के अंतर्गत आने वाले अपराध।

- जब अपराध संघ की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत आने वाले विषय से संबंधित हो

(उदाहरण: केंद्रीय कानून जैसे एनडीपीएस, सीमा शुल्क, पासपोर्ट से संबंधित अपराध, संघीय अपराध आदि)।

c) सभी मृत्यु-दंड के मामले।

- राष्ट्रपति किसी भी मृत्यु-दंड के मामले में क्षमादान दे सकते हैं, चाहे दंड किसी भी न्यायालय द्वारा दिया गया हो या किसी भी कानून के अंतर्गत दिया गया हो।

2. कोर्ट मार्शल के संबंध में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

✓ यह अनुच्छेद निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करता है:

- कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंड को कम या परिवर्तित करने की सैन्य अधिकारियों की शक्तियाँ।

✓ अर्थ:

- सैन्य अधिकारी सैन्य कानूनों के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते रह सकते हैं।

3. राज्यपाल की शक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण

✓ यह अनुच्छेद प्रभावित नहीं करता है::

- राज्यपाल की शक्ति (अनुच्छेद 161) के अंतर्गत राज्य कानूनों के तहत मृत्यु-दंड को स्थगित करने, कम करने या परिवर्तित करने की शक्ति।

✓ अर्थ:

- मृत्यु-दंड के मामलों में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास शक्तियाँ होती हैं।
- राष्ट्रपति की शक्ति अधिक व्यापक होती है — वे मृत्यु-दंड को क्षमा (क्षमा) कर सकते हैं।
- राज्यपाल मृत्यु-दंड को क्षमा नहीं कर सकते, वे केवल उसे कम या परिवर्तित कर सकते हैं।

अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के बीच अंतर

अंतर का आधार	अनुच्छेद 72 – राष्ट्रपति	अनुच्छेद 161 – राज्यपाल
प्राधिकरण (Authority)	भारत के राष्ट्रपति	राज्य का राज्यपाल
क्षेत्र (Scope)	व्यापक शक्तियाँ	अपेक्षाकृत सीमित शक्तियाँ
अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction)	संघीय कानून + कोर्ट मार्शल + सभी मृत्यु-दंड के मामले	केवल राज्य कानूनों से संबंधित मामले
मृत्यु-दंड (Death Sentence)	मृत्यु-दंड को क्षमा, स्थगित, कम, राहत या परिवर्तित कर सकते हैं	मृत्यु-दंड को क्षमा नहीं कर सकते; केवल स्थगित, कम या परिवर्तित कर सकते हैं
कोर्ट मार्शल (Court Martial)	कोर्ट मार्शल द्वारा दिए गए दंड को क्षमा या परिवर्तित कर सकते हैं	कोर्ट मार्शल के दंड पर कोई शक्ति नहीं
लागू विषय (Subjects Covered)	वे अपराध जिन पर संघ की कार्यकारी शक्ति लागू होती है (जैसे केंद्रीय कानून)	वे अपराध जिन पर राज्य की कार्यकारी शक्ति लागू होती है (राज्य कानून)
शक्ति की सीमा (Extent of Power)	दोषसिद्धि और दंड दोनों को पूर्णतः समाप्त कर सकते हैं	राज्य कानून की सीमा में रहते हुए दंड को कम या परिवर्तित कर सकते हैं
प्रयोग का क्षेत्र (Wider Application)	पूरे भारत में लागू	संबंधित राज्य तक सीमित
संवैधानिक प्रावधान (Legal Provision)	संविधान का अनुच्छेद 72	संविधान का अनुच्छेद 161

वाद का नाम: केहर सिंह बनाम भारत संघ, 1988, सर्वोच्च न्यायालय (SC)

- केहर सिंह को इंदिरा गांधी की हत्या में संलिप्तता के कारण मृत्युदंड दिया गया था।
- उनके परिवार ने अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की दया शक्ति बहुत व्यापक है और न्यायपालिका से स्वतंत्र है।
- राष्ट्रपति पूरे मामले पर विचार कर सकते हैं, जिसमें तथ्य, साक्ष्य और यहाँ तक कि दोष भी शामिल है।
- यह शक्ति राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर प्रयोग की जाती है।

- दया देना कृपा का विषय है, दोषी का कानूनी अधिकार नहीं।
- अदालतें राष्ट्रपति के निर्णय के गुण-दोष पर प्रश्न नहीं उठा सकतीं।
- न्यायिक समीक्षा केवल सीमित आधारों पर ही संभव है—दुर्भावना, मनमानी, भेदभावपूर्ण या अप्रासंगिक विचार।
- इस निर्णय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 72 एक कार्यकारी, गैर-न्यायिक शक्ति है।

अनुच्छेद 73 – संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

खंड (1):

- केंद्र सरकार के पास उन सभी विषयों पर कार्यपालिका शक्ति होती है जिन पर संसद कानून बना सकती है।
- अर्थात, यदि संसद किसी विषय पर कानून बना सकती है, तो केंद्र सरकार उस विषय पर कार्यवाही कर सकती है।
- केंद्र सरकार उन शक्तियों का भी प्रयोग कर सकती है जो भारत द्वारा किए गए संधियों, समझौतों या अंतरराष्ट्रीय दायित्वों से प्राप्त होती हैं।
- अर्थात, अंतरराष्ट्रीय समझौतों से संबंधित सभी शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।

परंतुक (अपवाद):

केंद्र सरकार उन मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती जिन पर राज्य विधानमंडल भी कानून बना सकता है (राज्य सूची), जब तक कि संविधान या संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून विशेष रूप से इसकी अनुमति न दे।

खंड (2): जब तक संसद अन्यथा प्रावधान न करे, राज्य सरकार उन कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग जारी रख सकती है जो संविधान लागू होने से पहले उसके पास थीं, भले ही वे विषय ऐसे हों जिन पर संसद कानून बना सकती है।

अनुच्छेद 74 – राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

1. **अनुच्छेद 74 बनाए जाने का उद्देश्य:**
   भारत ने ब्रिटिश (वेस्टमिंस्टर) शासन प्रणाली को अपनाया, जिसमें:
   - ✓ राष्ट्रपति = नाममात्र के प्रमुख (औपचारिक रूप से कार्य करते हैं, वास्तविक शासक नहीं)
   - ✓ प्रधानमंत्री + मंत्रिपरिषद = वास्तविक कार्यपालिका

   इस प्रकार, अनुच्छेद 74 यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करना होगा। इसके बिना भारत की व्यवस्था राष्ट्रपति प्रणाली जैसी दिखाई देती; इसलिए यह अनुच्छेद शासन की संसदीय प्रकृति को सुनिश्चित करता है।

2. अनुच्छेद 74 को आकार देने वाले संवैधानिक संशोधन:

a) 1976 से पहले

- ✓ संविधान में केवल यह कहा गया था कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी।
- ✓ इससे प्रारम्भ में कुछ भ्रम उत्पन्न हुआ कि क्या मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है या नहीं।

b) 42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1976

- ✓ इसे पूर्ण रूप से बाध्यकारी बना दिया गया।
- ✓ यह जोड़ा गया कि राष्ट्रपति "ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे।"
- ✓ इसके बाद राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को न तो अस्वीकार कर सकते हैं और न ही अनदेखा कर सकते हैं।

c) 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978

- ✓ एक छोटा नियंत्रण (जाँच) जोड़ा गया:
  - राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं।
  - लेकिन पुनर्विचार के बाद यदि वही सलाह फिर से दी जाती है, तो राष्ट्रपति के लिए उसे स्वीकार करना अनिवार्य होता है।
- ✓ यह एक सीमित सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन अंतिम निर्णय का अधिकार फिर भी मंत्रिपरिषद के पास ही रहता है।

3. अनुच्छेद 74(2) – न्यायालय में विचारणीय न होना

- ✓ **न्यायालय प्रश्न नहीं उठा सकते:**
  - क्या सलाह दी गई थी?
  - प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच क्या चर्चाएँ हुई थीं?
- ✓ **उद्देश्य:**
  - यह कार्यपालिका के भीतर गोपनीयता और सुचारु कार्यप्रणाली को बनाए रखता है।
  - यह अदालतों को कार्यपालिका की आंतरिक सलाह में हस्तक्षेप करने से भी रोकता है।

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) सर्वोच्च न्यायालय — एक ऐतिहासिक मामला

- ➢ न्यायालय ने कहा:
  - ✓ न्यायालय राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच नहीं कर सकते (यह अनुच्छेद 74(2) के अंतर्गत संरक्षित है)।
  - ✓ लेकिन न्यायालय राष्ट्रपति के समक्ष रखी गई सामग्री की जांच कर सकते हैं, ताकि यह देखा जा सके कि किया गया कार्य (जैसे राष्ट्रपति शासन लागू करना) दुर्भावनापूर्ण या असंवैधानिक तो नहीं था।
  - ✓ संक्षेप में, न्यायालय अनुच्छेद 74(2) के तहत दी गई "सलाह" की जांच नहीं कर सकते, लेकिन राष्ट्रपति के निर्णय के आधार बनी "सामग्री" की जांच कर सकते हैं।

अनुच्छेद 75 – मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान

मंत्रियों की नियुक्ति एवं आकार (संख्या)

अनुच्छेद 75(1): मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है?

- प्रधानमंत्री → राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
- अन्य मंत्री → राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं।
- (अर्थात मंत्रिपरिषद की टीम का चयन प्रधानमंत्री करते हैं।)

अनुच्छेद 75(1A): 15% की सीमा (91वाँ संविधान संशोधन)

- कुल मंत्री (प्रधानमंत्री सहित) = लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 15% तक हो सकते हैं।
- (बड़े आकार की मंत्रिपरिषद बनने और मंत्रालयों के दुरुपयोग को रोकने के लिए।)

अनुच्छेद 75(1B): अयोग्यता (Disqualification)

- यदि कोई सांसद दल-बदल विरोधी कानून (दसवीं अनुसूची) के तहत अयोग्य घोषित हो जाता है, तो वह तब तक मंत्री नहीं बन सकता जब तक:
  - ✓ उनका कार्यकाल समाप्त न हो जाए, या
  - ✓ वे पुनः निर्वाचित न हो जाएँ।

अनुच्छेद 75(2): कार्यकाल एवं उत्तरदायित्व

- कार्यकाल (राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत)
  - ✓ कोई मंत्री "राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत" अपने पद पर बना रहता है।
  - ✓ लेकिन व्यवहार में → राष्ट्रपति किसी मंत्री को तभी हटाते हैं जब प्रधानमंत्री ऐसा करने की सलाह देते हैं।
  - ✓ (अर्थात मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण प्रधानमंत्री का होता है।)

अनुच्छेद 75(3): सामूहिक उत्तरदायित्व

- पूरी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है।
- यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो केवल एक मंत्री नहीं बल्कि पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है।

एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) – सर्वोच्च न्यायालय [सामूहिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में]

- सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि सरकार के बहुमत की वास्तविक परीक्षा सदन के पटल (फ्लोर ऑफ द हाउस) पर होती है।

- सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि मंत्रिपरिषद को हर समय लोकसभा का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि मंत्रिपरिषद साथ-साथ बनी रहती है या साथ-साथ पद से हटती है।

अनुच्छेद 75(4): शपथ, सदस्यता एवं वेतन

- शपथ
- राष्ट्रपति प्रत्येक मंत्री को दो प्रकार की शपथ दिलाते हैं:
  - ✓ पद की शपथ
  - ✓ गोपनीयता की शपथ

अनुच्छेद 75(5): छह महीने के भीतर सांसद बनना आवश्यक

- कोई गैर-सांसद भी मंत्री बन सकता है, लेकिन उसे छह महीने के भीतर:
  - ✓ मंत्री को छह महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना आवश्यक है, अन्यथा वह मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता।

मामला: एस. आर. चौधरी बनाम पंजाब राज्य (2001) — सर्वोच्च न्यायालय

- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 75(5) के अंतर्गत छह महीने की अवधि एक बार मिलने वाला अवसर है, जिसे उसी लोकसभा/विधानसभा के कार्यकाल के दौरान बार-बार उपयोग नहीं किया जा सकता।
- यदि कोई व्यक्ति छह महीने के भीतर विधानमंडल का सदस्य निर्वाचित नहीं हो पाता और मंत्री पद से इस्तीफा दे देता है, तो वह बिना पहले विधानमंडल का सदस्य बने दोबारा मंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता।
- न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि छह महीने का प्रावधान एक अपवाद है, जिसका उद्देश्य केवल किसी योग्य व्यक्ति को चुनाव जीतकर जनादेश प्राप्त करने का अवसर देना है।
- बार-बार मंत्री नियुक्ति की अनुमति देना पिछले दरवाजे से प्रवेश (backdoor entry) के समान होगा और प्रतिनिधिक तथा उत्तरदायी शासन के सिद्धांतों को कमजोर करेगा।
- इस निर्णय ने संवैधानिक नैतिकता को सुदृढ़ करते हुए यह सुनिश्चित किया कि कार्यपालिका की वैधता अंततः निर्वाचित विधानमंडल से ही प्राप्त हो।

अनुच्छेद 75(6): वेतन

मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है।

भारत के महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल)

अनुच्छेद 76 – भारत के महान्यायवादी

1. महान्यायवादी (Attorney-General) भारत सरकार के सर्वोच्च विधिक सलाहकार होते हैं।
2. महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
3. केवल वही व्यक्ति महान्यायवादी नियुक्त किया जा सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए योग्य हो।
4. महान्यायवादी सरकार को विधिक सलाह देते हैं और राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए सभी विधिक कर्तव्यों का पालन करते हैं।
5. महान्यायवादी भारत के किसी भी न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं।
6. महान्यायवादी अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं।
7. महान्यायवादी का वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है।

अनुच्छेद 77 – सरकारी कार्य किस प्रकार संचालित किए जाते हैं

1. केंद्र सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं।
2. (उदाहरण: “राष्ट्रपति के आदेश से”
3. राष्ट्रपति के नाम से जारी किसी आदेश को, यदि वह नियमों के अनुसार विधिवत प्रमाणित है, तो इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि उस पर राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर नहीं किए।
4. सरकारी कार्य किस प्रकार संचालित होंगे और मंत्रियों के बीच कार्य का विभाजन कैसे होगा, इसके लिए नियम राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाते हैं।

अनुच्छेद 78 – राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री के कर्तव्य

प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि:

1. प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वे मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को दें।
2. राष्ट्रपति द्वारा सरकार के कार्य या प्रस्तावित कानूनों के संबंध में मांगी गई किसी भी जानकारी को प्रधानमंत्री उपलब्ध कराते हैं।
3. यदि राष्ट्रपति चाहें, तो प्रधानमंत्री किसी मंत्री के निर्णय को पुनर्विचार के लिए पूरी मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

संसद

अनुच्छेद 79 – संसद की संरचना

1. भारत के लिए पूरे देश (संघ) के लिए एक ही संसद होगी।
2. यह संसद तीन भागों से मिलकर बनती है:
   - ✓ राष्ट्रपति
   - ✓ राज्यसभा (Council of States)
   - ✓ लोकसभा (House of the People)

   अर्थात, संसद = राष्ट्रपति + राज्यसभा + लोकसभा।

अनुच्छेद 80 – राज्यसभा (राज्यों की परिषद) की संरचना

1. कुल सदस्य

- ✓ राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जो इस प्रकार विभाजित होते हैं:
  - 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है।
  - अधिकतम 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं।.

वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। इनमें से 225 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 8 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है।

2. सीटों का आवंटन

- ✓ प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें मिलेंगी, यह संविधान की चौथी अनुसूची में निर्धारित है।

3. नामित सदस्य (12 सदस्य)

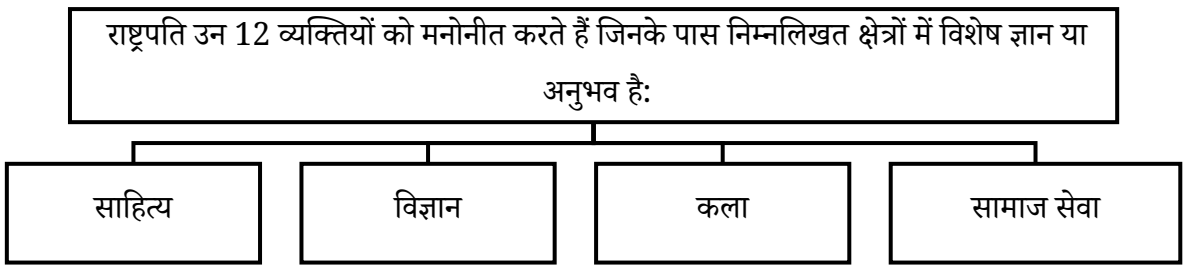

4. राज्यों के प्रतिनिधि

- ✓ राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों (विधायकों) द्वारा किया जाता है।